राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 1(2)/ग्रावि/नरेगा/बे.भत्ता/2012 . जयपुर दिनांकः

06 OCT 2022

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त।

विषय – राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी (बेकारी भत्ता) नियम–2022 भिजवाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार मनरेगा योजना में निर्धारित अवधि में रोजगार उपलब्ध न कराने पर बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता नियम बनाये जाकर प्रकाशित किये जाने के भारत सरकार के निर्देशों की पालना में राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी (बेकारी भत्ता) नियम–2022 का राजपत्र में दिनांक 29.08.2022 को प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित नियमों की अधिसूचना की प्रति (हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(शिवांगी स्वर्णकार)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
5. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5), विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
8. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली

परि.निदे.एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 07, सोमवार, शाके 1944-अगस्त 29, 2022
Bhadra 07, Monday , Saka 1944- August 29, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 23, 2022

एस.ओ.88 :-यत: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेकारी भत्ता) नियम, 2013 का प्रारूप, उससे संभाव्यत: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पन्द्रह दिवस की कालावधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 1(2)आर.डी./नरेगा/अनएम्प.आल.रूल्स/2012 दिनांक 21 जनवरी, 2014 के द्वारा राजस्थान राजपत्र, असाधारण भाग 3(ख) दिनांक 24 जनवरी, 2014 में प्रकाशित किया गया था ।

और यत: गजट की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, दिनांक 28-05-2014 को जनता को उपलब्ध करा दी गयी थीं।

अत:, अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त सुझावों पर विचार करने के पश्चात् इसके द्वारा राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेकारी भत्ता) नियम, 2022 बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (बेकारी भत्ता) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "स्कीम/ईजीएस/रोजगार गारंटी स्कीम" से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ङ) "नियत कालावधि" से किसी स्कीम के अधीन नियोजन चाहने वाले किसी रजिस्ट्रीकृत आवेदक के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या किसी अग्रिम आवेदन के मामले में उस तारीख से, जिसको नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिन तक की कालावधि अभिप्रेत है;

(च) "बेकारी भत्ता" से इन नियमों के अधीन संदत्त भत्ता अभिप्रेत है; और

(छ) "मजदूरी दर" से अधिनियम के उपबंधों के अधीन समय-समय पर अधिसूचित और नियोजन चाहने वाले आवेदन की तारीख को लागू दर अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।

3. बेकारी भत्ते का दावा करने की पात्रता.- कोई आवेदक जो स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसने स्कीम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट रीति में नियोजन चाहने के लिए सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर दिया है और नियोजन चाहने के लिए उसके आवेदन की प्राप्ति की तारीख से या किसी अग्रिम आवेदन के मामले में उस तारीख से जिसको नियोजन चाहा गया है, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, पन्द्रह दिन के भीतर उसे ऐसा नियोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो वह अधिनियम की धारा 9 के उपबंधों के अध्यधीन बेकारी भत्ते का दावा करने का पात्र होगा। बेकारी भत्ते की दर ऐसी होगी जैसीकि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाये।

4. बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्रक्रिया.- (1) कोई आवेदक जो बेकारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार है, इन नियमों के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए प्ररूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन के साथ नियोजन चाहने वाले आवेदन की रसीद होगी, जिसके बिना आवेदन ग्रहण नहीं किया जायेगा। आवेदन प्राप्त करने की अभिस्वीकृति ग्राम पंचायत द्वारा दी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्त करने या अभिस्वीकृति रसीद जारी करने से इन्कार करने के मामले में आवेदक कार्यक्रम अधिकारी को सीधे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, ग्राम पंचायत द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी उसका परीक्षण करेगी/करेगा और उसकी प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अपनी टिप्पणियों के साथ कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार गारंटी स्कीम के समक्ष इसे प्रस्तुत करेगी/करेगा ।

(4) कार्यक्रम अधिकारी ऐसे आवेदन पर विचार करेगी/करेगा और यदि किसी विशिष्ट मामले में वह आवश्यक समझे तो किसी अन्य पदधारी से उसका पुन:परीक्षण करायेगी/करायेगा और उसके पश्चात्, ग्राम पंचायत से इसके प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की कालावधि के भीतर और उप-नियम (2) के अधीन प्राप्त आवेदन के मामले में, उसकी प्राप्ति की तारीख से दो सप्ताह की कालावधि के भीतर दावे को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का समुचित आदेश पारित करेगी/करेगा।

(5) यदि कोई आवेदक नियत कालावधि की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर बेकारी भत्ते के लिए आवेदन करती/करता है तो उसे उस तारीख से बेकारी भत्ता संदत्त किया जायेगा जिसको वह अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार बेकारी भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। यदि कोई आवेदक, उपर्युक्त पन्द्रह दिन के अवसान के पश्चात् बेकारी भत्ते के लिए आवेदन करती/करता है तो नियत कालावधि के अवसान की तारीख से इन नियमों के अधीन बेकारी भत्ते का दावा करने के उसके आवेदन के प्राप्त होने की तारीख तक की कालावधि पर बेकारी भत्ते की संगणना

करने के प्रयोजन के लिए ध्यान नहीं दिया जायेगा और आवेदक ऐसी कालावधि के लिए पन्द्रह दिन के बेकारी भत्ते का हकदार होगी/होगा।

(6) कार्यक्रम अधिकारी दावा स्वीकार करते समय उसके साथ-साथ ऐसे अपचारी अधिकारी, पदधारी या व्यक्ति की जिम्मेदारी तय करेगी/करेगा जिसकी उपेक्षा के कारण बेकारी भत्ता आवेदक को संदत्त किया जा रहा है और दावा स्वीकार करने वाले आदेश में ऐसे पदधारी का नाम और एक मास के भीतर उससे वसूल की जाने वाली रकम विनिर्दिष्ट होगी।

(7) दावा अस्वीकार करते समय कार्यक्रम अधिकारी इसके कारण अभिलिखित करेगी/करेगा और आवेदक और ग्राम पंचायत को सूचित करेगा।

(8) बेकारी भत्ता, स्कीम की राज्य निधियों में से संदत्त किया जायेगा।

(9) बेकारी भत्ते की रकम, कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उस तारीख से, जिसको वह मामला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जाता है, पन्द्रह दिन के भीतर स्कीम के अधीन संधारित, संबंधित गृहस्थी के मुखिया के बैंक/डाकघर खाते में निक्षिप्त करायी जायेगी।

(10) यदि कार्यक्रम अधिकारी, अपने नियंत्रण से परे के कारणों से, इस नियम में नियत समय-सीमा के भीतर आवेदन को विनिश्चित करने या बेकारी भत्ते की रकम संवितरित करने की स्थिति में नहीं है तो वह जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामले की तुरन्त रिपोर्ट करेगी/करेगा।

(11) उप-नियम (6) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट रकम की अपचारी पदधारी या व्यक्ति से वसूली के लिए राज्य सरकार या पंचायती राज संस्थाओं के कर्मचारियों के मामले में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958, लोक प्रतिनिधियों के मामले में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के अधीन और संविदात्मक सेवाओं में लगे हुए कार्मिकों के मामले में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के अधीन कार्रवाई करने के लिए मामला सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जायेगा।

5. अभिलेख का रख-रखाव.- (1) बेकारी भत्ते से संबंधित अभिलेख का रख-रखाव कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(2) कार्यक्रम अधिकारी बेकारी भत्ते का दावा करने वाले आवेदनों की प्राप्ति और निपटान और उनके दावों की स्वीकृति से संबंधित पूर्ण ब्यौरों की प्रविष्टि उसके मानिटरिंग और सूचना प्रणाली (मा.सू.प्र.) में करेगा। यदि इसके लिए मा.सू.प्र. में कोई व्यवस्था नहीं है तो सूचना जिला कार्यक्रम समन्वयक, रोजगार गारंटी स्कीम को नियमित रूप से भेजी जायेगी जो ऐसी सूचना मासिक रूप से राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(3) जैसे ही बेकारी भत्ते को संदाय किया जाता है ग्राम विकास अधिकारी हिताधिकारी के जॉब कार्ड में इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा।

(4) बेकारी भत्ते के ब्यौरे, राजस्थान राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को भेजी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा समाविष्ट किये जायेंगे।

6. क्रियान्वयन व्यवस्था.- बेकारी भत्ते का संदाय जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक और ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी और पंचायत स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। बेकारी भत्ते के संदाय के लिए दायित्व सृजित करने वाले कारणों का कार्यक्रम अधिकारी द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इस संबंध में, समय-समय पर, विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धान्त जिला

कार्यक्रम समन्वयक के परामर्श से कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत और संबंधित पदधारियों को जारी किये जायेंगे।

7. अपील.- इन नियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश या की गयी कार्रवाई से व्यथित कोई व्यक्ति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (शिकायत को दूर करना) नियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार अपील कर सकेगा।

8. निरसन और व्यावृत्तियां.- इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व समय-समय पर जारी किये गये कोई आदेश या अनुदेश इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से जहां तक उक्त आदेशों या अनुदेशों के उपबंध इन नियमों के उपबंधों से असंगत हैं, निरसित होंगे।

प्ररूप

[नियम 4(1) देखिए]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम (मय पिता/पति का नाम):
2. पता:
3. लिंग:
4. आयु:
5. जॉब कार्ड सं.(जॉबकार्ड की फोटो प्रति संलग्न करें) :
6. तारीख जिसको नियोजन के लिए आवेदन दिया गया और यह किसे दिया गया:
7. नियोजन के लिए आवेदन की रसीद की प्रति:
8. दिनों की संख्या जिसके लिए बेकारी भत्ते का दावा किया गया है।
9. कालावधि, जिसके लिए बेकारी भत्ते का दावा किया गया है, के आरंभ की तारीख।

मैं .... निवासी...................................... इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि नियोजन के लिए मैंने विनिर्दिष्ट प्ररूप में कार्य के लिए दिनांक .... को मांग की थी लेकिन कार्य नहीं दिया गया। मुझे उस कालावधि के लिए कहीं भी नियोजित नहीं किया गया है जिसके लिए मैं इस आवेदन में बेकारी भत्ते के लिए दावा कर रहा हूं और यदि पश्चात्वर्ती रूप से यह साबित हो जाता है कि मैं उक्त कालावधि या उसके किसी भाग के दौरान नियोजित था तो, इसके द्वारा उस कालावधि के लिए प्राप्त बेकारी भत्ते की रकम का सरकार को प्रतिदाय करने का वचन देता हूं।

तारीख.................. आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

..................................कृपया यहां से फाड़िए..................................

बेकारी भत्ते के संदाय के लिए आवेदन की रसीद

श्री .... ग्राम.................................. से दिनांक .... को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, राजस्थान के अधीन बेकारी भत्ते के संदाय के लिए आवेदन प्राप्त किया।

हस्ताक्षर

पदनाम..............................

ग्राम पंचायत.....................

[सं.एफ. 1(2)आर.डी./नरेगा/अनएम्प.आल.रूल्स/2012]

राज्यपाल के आदेश से,

के.के.शर्मा,

परियोजना निदेशक एवं उप शासन सचिव।

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, August 23, 2022

S.O.88 .-Whereas the draft of the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Unemployment Allowance) Rules, 2013 was published as required under sub-section (1) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005) vide notification of the Rural Development and Panchayati Raj Department number F. 1(2) RD/NREGA/Uemp.All.Rules/2012 dated January 21, 2014, in the Rajasthan Gazette, Extraordinary, Part 3 (kha) dated January 24, 2014, inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, before expiry of the period of fifteen days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public.

And whereas, the copies of the Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on dated 28-5-2014.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005), the State Government, after considering the suggestion received on the said draft rules, hereby makes the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Unemployment Allowance) Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Unemployment Allowance) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the contest otherwise requires,-

(a) “Act” means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act No. 42 of 2005);

(b) "Form" means Form appended to these rules;

(c) "Scheme/EGS/Employment Guarantee Scheme" means the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Rajasthan;
(d) "Section" means the section of the Act;
(e) "Stipulated period" means the period upto fifteen days from the date of receipt of application of applicant registered under the Scheme seeking employment or from the date on which employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later;
(f) "Unemployment allowance" means the allowance paid under these rules; and
(g) "Wage rate" means the rate notified under the provisions of the Act, from time to time and applicable on the date of application seeking employment.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

3. Eligibility to claim Unemployment Allowance.- An applicant, who is registered under the Scheme and has submitted application to the competent authority for seeking employment in manner as specified under the Scheme, and is not provided such employment within fifteen days from the date of receipt of her/his application for seeking employment or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, shall be eligible to claim unemployment allowance subject to the provisions of section 9 of the Act. The rate of unemployment allowance shall be such as may be notified by the State Government, from time to time.

4. Procedure for payment of unemployment allowance.- (1) Any applicant who is entitled to receive unemployment allowance may apply in Form for payment of unemployment allowance under these rules. The application shall be accompanied by the receipt of application for seeking employment, in absence of which the application shall not be entertained. Receipt of application shall be acknowledged by the Gram Panchayat.

(2) In case of refusal by the Gram Panchayat to receive the application or issue acknowledgement receipt under sub-rule (1), the applicant may submit application to the Programme Officer, directly.

(3) On receipt of application under sub-rule (1), the officer or employee authorized by the Gram Panchayat shall examine and put it to the Programme Officer, Employment Guarantee Scheme with her/his comments within one week from the date of receipt of it.

(4) The Programme Officer shall consider such application and if she/he considers necessary in a particular case, she/he shall cause re-examined it by any other official and thereafter pass an appropriate order accepting or rejecting the claim within a period of one week from the date of receipt of it, from Gram Panchayat and in case of application received under sub-rule (2) within a period of two weeks from the date of receipt of it.

(5) In case an applicant applies for unemployment allowance within fifteen days of expiry of stipulated period, she/he shall be paid unemployment allowance from the date on which she/he is entitled to receive unemployment allowance as per the provisions of sub-section (1) of section 7 of the Act. In case an applicant applies for unemployment allowance after expiry of above fifteen days, the period from the date of expiry of the stipulated period to the date of receipt of his application claiming unemployment allowance under these rules shall be ignored for the purpose of reckoning unemployment allowance and the applicant shall be entitled for unemployment allowance of fifteen days for such period.

(6) While accepting the claim, the Programme Officer shall, simultaneously, fix the responsibility of the delinquent officer, official or person due to whose negligence the unemployment allowance is being paid to the applicant and name of such official and the amount to be recovered from her/him shall be specified in the order accepting the claim within one month.

(7) While rejecting the claim, the Programme Officer shall record the reasons thereof and intimate to the applicant and the Gram Panchayat.

(8) The unemployment allowance shall be paid out of the state funds of the scheme.
(9) The amount of the unemployment allowance shall be deposited by the Programme Officer in the bank/ post office account of the head of the household concerned, maintained under the Scheme within fifteen days from the date on which the case is decided by the Programme Officer.
(10) If the Programme Officer is, for the reasons beyond her/his control, not in a position to decide the application or to disburse the amount of the unemployment allowance within the time limit fixed in this rule, she/he shall immediately report the matter to the District Programme Coordinator.
(11) For recovery of the amount specified in the order under sub-rule (6) from the delinquent official or person, the matter shall be referred to the authority competent to take action under the Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1958 in case of employees of the State Government or Panchayati Raj Institutions, under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994) in case of Public Representatives and under the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No.15 of 1956) in case of personnel engaged on contractual service.

5. Maintenance of record.- (1) Record relating to unemployment allowance shall be maintained by the Programme Officer.
(2) The Programme Officer shall enter full details relating to receipt and disposal of the applications claiming the unemployment allowance and acceptance of claims thereof in the Monitoring and Information System (MIS). In case there is no provision for the same in the MIS, the information shall be sent regularly to the District Programme Coordinator, Employment Guarantee Scheme who shall forward such information to the State Government monthly.
(3) As soon as the payment of unemployment allowance is made, the Village Development Officer shall make entry of the fact in the job card of the beneficiary.
(4) Details of the unemployment allowance shall be incorporated by the District Programme Coordinator in the annual report to be sent to the Rajasthan State Employment Guarantee Council.

6. Implementation arrangements.- Payment of unemployment allowance shall be ensured by the District Programme Coordinator at District level and the Programme Officer at Block level and Village Development Officer at Panchayat level. The reasons creating liability for payment of unemployment allowance shall be reviewed from time to time by the Programme Officer and it shall be ensured that it shall not be repeated in future. Detailed guidelines in this regard shall be issued by the Programme Officer to the Gram Panchayat and the officials concerned, from time to time in consultation with the District Programme Coordinator.

7. Appeal.- Any person aggrieved by any order issued or action taken under these rules may prefer an appeal in accordance with the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Grievance Redressal) Rules, 2010.

8. **Repeal and Saving.-** Any order or instructions issued from time to time before commencement of these rules shall stand repealed from the dated of commencement of these rules so far as provisions of said orders or instructions are inconsistent to the provisions of these rules.

FORM
(See rule 4(1))

Application for payment of unemployment allowance under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rajasthan

1. Name of applicant (with Father/Husband Name):
2. Address :
3. Sex :
4. Age :
5. Job Card No.(attached photocopy of Job Card) :
6. Date on which application for employment was handed over and to whom it was handed over :
7. Copy of receipt of application for employment :
8. Number of days for which Unemployment allowance is claimed.
9. Date of the beginning of the period for which unemployment Allowance is claimed.

I…………………………….resident of ……..……………………………….hereby declare solemnly that I had demanded for work in the Specified form for Employment on dated ….. ......but have not been given work. I was not employed anywhere for the period for which I am claiming unemployment allowance in this application and hereby undertake to refund to Government the amount of unemployment allowance received for the that period, if it is proved subsequently that I was employed during that period or a portion thereof.

Date……………… Signature/Thumb impression of applicant.

…………………………………………………….…………Please tear from here

Receipt of Application for payment of unemployment allowance

Received an application from Shri………………..................Village…………………for payment of unemployment allowance under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Rajasthan on dated………....

Signature
Designation………………
Gram Panchayat……………

[No.F.1 (2)RD/NREGA/Unemp.All.Rules/2012]
By order of the Governor,

K.K. SHARMA,
PROJECT DIRECTOR CUM DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.